न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 458/2018

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. गुणेश आत्मज गोकल कुमावत
2. दीपा आत्मज गोकल कुमावत
3. रामचन्द आत्मज दीपा कुमावत
4. भोलाराम आत्मज आशाराम कुमावत
5. नानुराम आत्मज आशाराम कुमावत
6. देवा आत्मज आशाराम कुमावत
7. लक्ष्मण आत्मज आशाराम कुमावत
8. चांदी पुत्री आशाराम कुमावत
9. मोहनी पुत्री आशाराम कुमावत
10. रामि पुत्री आशाराम कुमावत

सर्व निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. जमनालाल आत्मज भीमा कुमावत
2. शंकरलाल आत्मज भीमा कुमावत
3. देऊ पत्नि बरदीचन्द कुमावत पुत्री पेमा कुमावत
4. कोयली पत्नि भीमा कुमावत
5. रतनलाल आत्मज मेघा कुमावत
6. वालु आत्मज मेघा कुमावत
7. नंदु पत्नि मेधा कुमावत
8. लेहरू आत्मज किशना कुमावत
9. सोहन आत्मज किशना कुमावत
10. शंकर आत्मज किशना कुमावत
11. मंगना आत्मज किशना कुमावत
12. गोपी आत्मज नंगजी कुमावत

सर्व निवासी मटुनिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

13. डाली पुत्री मेघा पत्नि लादु कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
14. पनी पुत्री मेघा पत्नि पारस कुमावत निवासी बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
15. देऊ पुत्री भीमा पत्नि कालु कुमावत निवासी रामपुरिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
16. नंदु पुत्री पेमा पत्नि जयराम कुमावत निवासी डांगखेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
17. नानी पुत्री पेमा पत्नि पेमा कुमावत निवासी डालखेड़ा कोशीथल तहसील राहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:27 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible]

अधिवक्ता विपक्षीगण(1,3,7,17): श्री ललित कुमार सुराणा

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 458/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–14.08.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मदुनिया, पटवार क्षेत्र चावण्डिया तह. सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 976, 978, 979 अन्य आराजियात के खाता संख्या 32 पर स्थित है। जो चारों ओर अन्य आराजियात से गिरी हुई है जिन तक पहुंच का कोई सरकारी मार्ग नहीं है।

यह कि हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात पर हम प्रार्थीगण स्वयं , संज , बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, पैदल, सिजारी मजदुरों सहित आवागमन विपक्षीगण की आराजी संख्या 988 की पूर्वी पाली से होकर जाते है। करीब 80 वर्षो से अधिक समय से चले आ रहे है, जो आम रास्ते से लगी हुई है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध / विद्यमान नहीं है।

यह कि हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात के पुराने साबिक नम्बर –221 है जिनसे उक्त वर्णित आराजियात बनी है तथा विपक्षीगण की आराजी संख्या 988 साबिक नम्बर 226 का भाग है। सेटलमेन्ट से पूर्व हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित साबिक आराजी संख्या 221 में आवागमन का रास्ता आराजी संख्या 226 के मध्य में स्थित था, जिसे राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से आम रास्ते से हम प्रार्थीगण की आराजी तक दर्शा रखा है। इससे भी प्रमाणित है कि हम प्रार्थीगण का उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

यह कि भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान ग्राम मदुनिया का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ, जिसमें सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी उचित आदेश के मन मकसुद तरीके से साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा नहीं बना कर वर्तमान नक्शे में जंहा विपक्षीगण की आराजी संख्या 988 अंकित की वंहा से हमारे आवागमन के साबिक नक्शे में दर्शाये रास्ते को डोटेड लाईन को हटा दिया है। जिससे विपक्षीगण इसका नाजायज लाभ उठा कर हम प्रार्थीगण को आये दिन तंग व परेशान करते रहते है एवं हमारे सदैव के आवागमन के उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बाधित करते रहते है

यह कि हम प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन हेतु आम रास्ते से लेकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 988 की पूर्वी पाली पर से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता हम प्रार्थीगण की आराजी तक स्वतंत्र आवागमन हेतु चाहिये, जिसकी हम प्रार्थीगण को नितान्त आवश्यकता भी है। क्योंकि हम प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर करके हम प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन हेतु आम रास्ते से हम प्रार्थीगण की आराजियात तक विपक्षीगण की आराजी संख्या 988 की पूर्वी पाली पर से 15 फीट चौड़ाई तक की भुमि को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ते के रूप में प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क जमा करवा दर्ज कराने हेतु तहसीलदार सहाब सहाड़ा के नाम आदेश फरमाया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी [illegible] 7, 17 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित जिनके विरु[illegible]क्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश दिया जाता है। विप[illegible] पेश कर प्रार्थना पत्र की प्रार्थीगण की प्रार्थना संख्या 1 [illegible] कलम संख्या 9 को कानुनी बताया तथा निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर होने से प्रार्थीगण को रास्ते की कोई विधिक आवश्यकता [illegible] होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:27 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 26.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः–

यह कि ग्राम मटुनिया की आराजी संख्या 976 रकबा 0.36 हे0, आराजी 977 रकबा 0.34 हे0, आराजी नं0 978 रकबा 0.34 हे0, आराजी नं0 979 रकबा 0.35 हे0 भूमि खातेदार गणेश, रामचन्द्र, दीपा पिता गोकल, भोलीराम, लक्ष्मण, देवा, चांदी, मोहनी, रामी, नानूराम पिता आशाराम कुमावत निवासी मटुनिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

यह कि उक्त खसरा सख्या पर वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नहीं है ।

यह कि मौके पर सरकारी रास्ता आराजी नं0 880 रकबा 0.55 हे0 गै0मु0 रास्ता से होकर खातेदारी आराजी नं0 988 रकबा 0.37 हे0 में से जाने वाले रास्ते को बंद किया जाता है।

यह कि मौके पर उक्त आराजियात में आवागमन नही हो रहा है। मौके पर रास्ता नहीं होने से पूर्व के रास्ते में जेसीबी से खाई खोदकर बंद करने से आवागमन नहीं किया जा रहा है।रास्ता मौके पर बंद है।

यह कि रास्ते हेतु आराजी नं0 988 रकबा 0.37 हे0 में से 0.04 हे0 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि आती है। जिसकी डी0एल0सी0 दर 2,12,989/– रूपये प्रति हे0 निर्धारित है। जिसके अनुसार प्रस्तावित 0.04 हे0 भूमि की मालियत 8520/– होती है जिसकी दुगुनी राशि 17040/– रूपये होती है।

यह कि वर्तमान रास्ता व बंद किये गये रास्ते व खातेदारी भूमि को राजस्व नक्शे में पृथक्–पृथक् दर्शाया गया हैं

यह कि मौके पर अन्य कोई न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

यह कि भू–प्रबंध से पूर्व के आराजी नं0 226 में से डोटेड रास्ता दर्शाया हुआ है।

यह कि प्रस्तावित रास्ते अनुसार आराजी नं0 988 रकबा 0.37 हे0 में से 0.04 हे0 अर्थात 400 वर्गमीटर भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु कुल 0.04 हे0 रकबा प्रभावित होती है। ग्राम मटुनिया की किस्म बारानी ।।। होकर वर्तमान डी0एल0सी0दर 2,12,989/– प्रति हेक्टयर निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित 0.04 हे0 भूमि की मालियत 8520/–रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 17040/– रूपये होती है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम मटुनिया प0ह0 चावण्डिया के आराजी नं0 976, 977, 978, 979 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के बताये अनुसार विपक्षीगण के आराजी नं0 988 की पूर्वी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 976, 977, 978, 979 [illegible] है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त [illegible] 8 की पूर्वी मेड पर 15 फीट चौड़ा रास्ता भुमि का नवीन रास्ता दर्ज [illegible] उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्त[illegible] एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 458/2018
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम मटुनिया प0ह0 चावण्डिया की आराजी संख्या 976, 977, 978, 979 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम मटुनिया की आराजी संख्या 988 क्षैत्रफल 0.37 में से 0.04 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु कुल 0.04 हे0 रकबा प्रभावित होती है। पूर्वी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.04 हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 2,12,989/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 8520/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 17040/–प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदार न. 1 लगायत 17 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.04 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 17040/– प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 17 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम मटुनिया प0ह0 चावण्डिया की आराजी संख्या 976, 977, 978, 979 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम मटुनिया की आराजी संख्या 988 क्षैत्रफल 0.37 में से 0.04 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु पूर्वी मेड 15 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.04 हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:43:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner